

पर्चा डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या - 321/2024

अनवान :

1. खेतपाल पुत्र चतराराम जाति मेघवाल निवासी सूरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
 2. राजू पुत्र चतराराम जाति मेघवाल निवासी सूरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
- वादीगण

बनाम

1. घाई देवी पत्नी चतराराम जाति मेघवाल निवासी सूरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. कमला पत्नी मांगीलाल पुत्री चतराराम जाति मेघवाल निवासी फलौदी तहसील व जिला फलौदी।
3. धापू पत्नी भूराराम पुत्री चतराराम जाति मेघवाल निवासी 43 एफ श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा
88 राजस्थान काश्तकारी अधि० 1955

उपस्थिति:-1 अधिवक्ता श्री महेश कुमार गौड़ :-वादीगण
2 अधिवक्ता श्री सुनील शर्मा :-प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक 28/11/24


आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादीगण श्री महेश कुमार गौड़ व श्री सुनील शर्मा वकील प्रतिवादीगण अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि चक 1 एस.आर.डबल्यू की जमाबन्दी संवत् 2075 ता 78 के खाता सं० 173/168 में अंकित 0.506 है० कृषि भूमि में से चतराराम पुत्र मेघाराम के 1/2 हिस्सा की भूमि के वादीगण को ००/००/०० के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर चक 1 एस.आर.डबल्यू सं० 173/168 में से चतराराम का नाम कलमजान किये जाने के आदेश है।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
टिब्बी

तहसीलदार टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो

उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 28/11/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(सत्यनारायण R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
पटन सिंह
दिल्ली